# कार्यवाही

कार्यवाही नगर निगम बोर्ड की बैठक दिनांक 18-11-2019 को समय 11:00 बजे पूर्वान्ह स्थान स्वर्ण जयन्ती सभागार नगर निगम ऋषिकेश ।

**उपस्थितिः-**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमति अनिता ममगांई | मेयर |
| 1. | श्रीमति पुष्पा मिश्रा | पार्षद |
| 2. | श्रीमति रूपा देवी | पार्षद |
| 3. | श्रीमति प्रियंका यादव | पार्षद |
| 4. | श्रीमति श कुंतला श र्मा | पार्षद |
| 5. | श्री देवेन्द्र कुमार प्रजापति | पार्षद |
| 6. | श्री चेतन चौहान | पार्षद |
| 7. | श्री मनीश बनवाल | पार्षद |
| 8. | श्रीमति विजय लक्ष्मी | पार्षद |
| 9. | श्रीमति रीना श र्मा | पार्षद |
| 10. | श्री मनीश श र्मा | पार्षद |
| 11. | श्री भगवान सिंह | पार्षद |
| 12. | श्री राकेश सिंह | पार्षद |
| 13. | श्रीमति मीनाक्षी बिरला | पार्षद |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | श्रीमति लता तिवाडी | पार्षद |
| 15. | श्री प्रभाकर श र्मा | पार्षद |
| 16. | श्री अजीत सिंह | पार्षद |
| 17. | श्रीमति अनिता रैना | पार्षद |
| 18. | श्रीमति उमा बृजपाल राणा | पार्षद |
| 19. | श्रीमति रामअवतारी सुमित पंवार | पार्षद |
| 20. | श्रीमति राधा रमोला | पार्षद |
| 21. | श्री जयेश  राणा | पार्षद |
| 22. | श्री शौकत अली | पार्षद |
| 23. | श्री लवकाम्बोज | पार्षद |
| 24. | श्री गुरविन्दर सिंह | पार्षद |
| 25. | श्रीमति सुन्दरी कन्डवाल | पार्षद |
| 26. | श्रीमति रश्मि देवी | पार्षद |
| 27. | श्रीमति लक्ष्मी रावत | पार्षद |
| 28. | श्री विजय बडोनी | पार्षद |
| 29. | श्री विपिन पन्त | पार्षद |
| 30. | श्री विरेन्द्र सिंह रमोला | पार्षद |
| 31. | श्री विजेन्द्र मोघा | पार्षद |
| 32. | श्री राजेन्द्र प्रेम सिंह बिष्ट | पार्षद |

33. श्री जगत सिंह नेगी पार्षद

34. श्रीमति शारदा पार्षद

महापौर महोदया पधारी । गतवर्ष आज ही के दिन चुनाव होने पर मेयर महोदया द्वारा सभी को बधाई दी गई तथा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्देश दिया। बोर्ड की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

**प्रस्ताव संख्या 1-** **मा0** मेयर महोदया का प्रस्ताव बावत श्री इन्द्रमणी बडोनी चौक देहरादून रोड से बाई पास मार्ग पर अगाशे स्कूल तक रोड डिवाईडर निर्माण एवं डबल आर्म पोल सहित स्ट्रीट लाईट लगाये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

----------

सर्वसम्मति से स्वीकार । श्री मनीश शर्मा द्वारा कहा गया कि रोड नेश नल हाईवे की है , उन्है प्रस्ताव स्वीकार कर भेजा जाना चाहिए। मेयर महोदया द्वारा कहा गया कि उनसे अनुमति ले ली जायेगी। श्री विपिन पन्त ने कहा कि नगर निगम की सीमा अगापे स्कूल से पहले है प्रस्ताव में अगापे स्कूल की जगह चीनी गोदाम तक समझा जाये।अधिकारीगण जाकर देखेंगे कि सीमा कहॉ तक है।

**प्रस्ताव संख्या 2-** **मा0** मेयर महोदया का प्रस्ताव बावत कोयल घाटी तिराहे पर शौन्दर्य युक्त गोल चक्कर एवं तिराहे से सीमा डेन्टल कालेज तक रोड डिवाईडर निर्माण एवं डबल आर्म पोल सहित स्ट्रीट लाईट लगाये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

----------

सर्व सम्मति से स्वीकार। श्री लवकाम्बोज द्वारा कहा गया कि यह कार्य वीरपुर खुर्द तक किया जाय।

**प्रस्ताव संख्या 3-** **मा0** मेयर महोदया का प्रस्ताव बावत मेरिन ड्राइव पर बैराज पुल से ऋषिकेश की ओर जहॉ तक मॉ गंगा जी की जलधारा स्थिर है , को पर्यटकों के लिए वोंटंग स्थल के रूप में विकसित किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

----------

सर्वसम्मति से स्वीकार।

**प्रस्ताव संख्या 4**- श्री मनीश शर्मा पार्षद का प्रस्ताव बावत निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार एवं निर्णय।

1. होर्डिग्स विज्ञापन का टेन्डर कराये जाने के संबन्ध में।

2. आउटसार्सिंग में लगभग 40 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करवाने के संबन्ध में।

3. भवनकर की दरें कम कराये जाने के संबन्ध में।

4. आउटसोर्स में कार्यरत पुराने तकनीकी कुशल कर्मचारी जैसे –कम्प्यूटर आपरेटर,लाइन मैन एवं वाहन चालकों को रू0 539/- प्रतिदिन की दर से वेतन दिये जाने के संबन्ध में।

----------

बिन्दु 1 के संबन्ध में श्री मनीश शर्मा द्वारा कहा गया कि बोर्ड फन्ड बढाने के लिए होडिंग्स विज्ञापन शुल्क वसूली का कार्य के टेन्डर कराये जाने आवश्यक हैं। नगर आयुक्त महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विज्ञापन नियमों में संशोधन किया जाना है। कर अधीक्षक द्वारा बताया गया संषोधन में लगभग दो माह का समय लगेगा । श्री मनीष शर्मा द्वारा कहा गया कि दो माह में बाइलाज बना लिया जाय।

बिन्दु 2 सर्व सम्मति से स्वीकार।

बिन्दु 3 के संबन्ध में मेयर महोदया द्वारा कहा गया कि भवनकर अधिक आने की शिकायते आ रही है । कर अधीक्षक स्थिति स्पस्ट करें ।कर अधीक्षक द्वारा कहा गया कि भवन कर नियमावली के अनुसार 40 प्रतिश तकी छूट पहले ही दी जा रही है । इस पर श्री मनीष शर्मा द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा गया कि कर अधीक्षक बार-बार 40 प्रतिश त कम करने की बात कहकर सदन को गुमराह कर रहे हैं । बैठक में जो कम करने हेतु तय हुआ था उसके अनुसार किया जाय । व्यावसायिक भवनकर की दरों में तो बहुत अधिक वृद्धि कर दी है जिससे व्यापारी नाराज हैं। जनप्रतिनिधि होने के कारण हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए भवनकर कम किया जाय। कर अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सम्पतिकर के संबन्ध में दो बिन्दु विचारणीय हैं एक-दरों पर विचार तथा दूसरा छूट पर विचार ।दरो के संबन्ध में सम्पतिकर नियमावली 2016 में नगर आयुक्त महोदय को अधिकृत किया गया है नियमानुसार दरो का निर्धारण प्रकाश न तथा आपत्ति दावों पर सुनवाई कर अन्तिम रूप से दरें निर्धारित क र ली गई हैं जिसके क्रम में स्वकर निर्धारण प्रपत्र छपवा कर वसूली गतिमान है। इससे संबन्धित संम्पति कर नियमावली मा0  पार्षदों को दी जा सकती है । दूसरा बिन्दु छूट से संबन्धित है ।नगर निगम द्वारा नियमावली के अनुरूप् 25, 32.5 तथा 40 प्रतिशत तक आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्य में छूट तथा नियत समय में कर जमा करने पर नियमावली के अनुसार 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जा रही है

यदि सदन चाहे तो नियत समय के भीतर जमा करने वाले खातेदारों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान कर सकता है ।श्री मनीष श र्मा द्वारा कहा गया कि हमने आपत्ति लगाई थी किन्तु सुनवाई नहीं हुई ।दरों की स्वीकृति बोर्ड से की जानी चाहिए ।नगर आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि दरो को कम करने के प्रकरण को शासन को सन्दर्भित करेंगे शासन की अनुमति पर ही कार्यवाही की जा सकती है ।श्री देवेन्द्र प्रजापति द्वारा कहा गया कि भवनकर की दरों को बोर्ड द्वारा स्वीकार कराया जाय। कर अधीक्षक द्वारा कहा गया कि माननीय पार्षदों को अपनी भावनायें बोर्ड में रखने का अधिकार है। मेयर महोदया द्वारा कहा गया कि कार्पेट एरिया 20 की जगह 30 प्रतिश त किया जाय जिस पर श्री मनीष शर्मा द्वारा कहा गया कि पूर्ण भवनकर निर्धारण के पश्चात 50 प्रतिश त की छूट दी जाये। व्यावसायिक भवनकर भी कम किया जाय। श्री मनीष श र्मा द्वारा कहा गया कि धार्मिक संस्थाओं द्वारा वर्षो से बहुत कम किराये पर दुकाने दी हुई है वो इतना कर कैसे देगें ।कर अधीक्षक द्वारा कहा गया कि वे किरायेदार से वसूल कर सकतें हैं । श्री देवेन्द्र कुमार प्रजापति द्वारा कहा गया कि पूर्व की भॉति सर्वे के दौरान बिना प्रकाशन के नामान्तरण किया जाय।

बिन्दु 4 में श्री मनीष शर्मा द्वारा पूछा गया कि आउटसोर्स ठेकेदार द्वारा कितने प्रतिशत लाभांश लिया जा रहा है तथा पूर्व में कितने प्रतिशत दिया जा रहा था लेखाधिकार द्वारा कहा गया कि निविदा के माध्यम से न्यूनतम दर होने पर ही ठेका दिया गया ।पूर्व में 2 प्रतिशत लाभांश दिया गया तथा वर्तमान में 20 प्रतिश त दिया जा रहा है । श्री मनीष शर्मा द्वारा कहा गया कि इसकी जॉच होनी चाहिए जिसकी गलती हो उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए और यदि ठेका गलत हुआ है तो उसे निरस्त किया जाय। जितने कर्मचारी रखे गये है क्या उतनी आवश्यकता है क्या नियमानुसार रखे गये हैं उसकी भी जॉच की जाय। नगर आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा पहले ही इस संबन्ध में निर्देश दे दिये गये हैं । श्री गुरविन्दर सिंह द्वारा कहा गया कि आउटसोर्स कर्मचारियों का ई.पी.एफ. कट रहा है या नहीं अभी तक किसी भी कर्मचारी के पास मैसेज नहीं

आया है। लेखाधिकारी द्वारा कहा गया कि हॉ कट रहा है। श्री मनीष शर्मा द्वारा पूछा गया कि इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है जिस पर नगर आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि मैं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी लेता हूॅ। मेयर महोदया द्वारा कहा गया कि नगर आयुक्त जॉच करें यदि कोई कमी निकलती है तो उस पर कठोर कार्यवाही की जाये । श्री देवेन्द्र प्रजापति द्वारा लो0नि0वि0 की दरें पढकर सुनाई गई तथा कहा गया कि कर्मचारियों को ये दरे नहीं दी जा रही हैं इस पर लेखाधिकारी द्वारा कहा गया कि यहॉ श्रमविभाग द्वारा निर्गत दरें दी जा रही हैं लो0नि0 वि0 की दरें अलग हैं।

**प्रस्ताव संख्या 5-** श्री अजीत सिंह पार्षद का प्रस्ताव बावत गोविन्द नगर ट्रेन्चिगं ग्राउन्ड में कूडा निस्तारण उपकरण लगवाना अथवा उक्त एकत्र कूडे को हरिद्वार सराय प्लांट में भिजवाये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

----------

कर अधीक्षक द्वारा कहा गया कि उक्त डम्पिंग जोन के निस्तारण हेतु डी0पी0आर0 शासन स्तर पर तैयार की जा चुकी है यथा शीघ्र टेन्डर प्रक्रिया होने के उपरान्त कार्य आरम्भ हो जायेगा मेयर महोदया द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि इस संबन्ध में नगर निगम हरिद्वार को प्रस्ताव भेजा गया है जिस पर हरिद्वार नगर निगम बोर्ड निर्णय लिया जाना है यदि स्वीकृति नहीं मिलती है तो शासन से स्वीकृति प्राप्त करके कूडा हरिद्वार सराय प्लान्ट भेजा जायेगा। श्री अजीत सिंह द्वारा कहा गया कि दल दल की गन्ध से बचाव के लिए रोडी, मलवा जो उचित हो डलवाया जाय। श्री मनीष शर्मा द्वारा कहा गया कि यह भी परीक्षण कर लिया जाय कि हरिद्वार भेजे जाने में व्यय कम लगेगा या यहॉ निस्तारण में कम खर्च लगेगा । प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार।

**प्रस्ताव संख्या 6-** श्रीमति शारदा देवी पार्षद का प्रस्ताव बावत राशन कार्ड , विधवा पेंश न एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं हेतु तहसील कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन निगम परिसर में बैठने की व्यवस्था किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

----------

सर्व सम्मति से स्वीकार ।संबन्धित विभाग को पत्र भेजा जाय।

**प्रस्ताव संख्या 7-** श्री राकेश सिंह एडवोकेट पार्षद का प्रस्ताव बावत नगर निगम की सुचारू कार्य व्यवस्था एवं शहर हित में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

1. नगर निगम ऋषिकेश के विधिक कार्यो की पैरवी हेतु मा0 उच्च न्यायालय में अधिवक्ता की नियुक्ति।

2. बेन्डर जोन का चिन्हिकरण व निर्माण कराना।

3. सफाई कर्मचारियों को ऑफिस से हटाकर सफाई हेतु फिल्ड में भेजा जाय।

4. सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र एवं शामिल वार्डों में निगम की सम्पत्ति का चिन्हिकरण।

5. नगर निगम की सुदृढ सफाई व्यवस्था हेतु कम से कम 100 स्थाई कर्मचारियों की भर्ती की जावे।

6. आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन भुगतान समय पर किया जाय अन्यथा ठेकेदार पर आर्थिक दण्ड व उचित कार्यवाही की जाये।

7. बन्दरों व आवारा पशुओं को शीघ्र निगम के माध्यम से नीलामी कर श हर से हटाया जावे।

8. चन्द्रभागा पुल से ढालवाला पुल के मध्य नदी पर पार्किंग का निर्माण कार्य।

----------

बिन्दु 1 में श्री राकेश सिंह द्वारा कहा गया कि मा0 उच्च न्यायालय में नगर निगम के विधिक अधिवक्ता श्री बाबुल कर महाधिवक्ता हो गये हैं इसलिए नये अधिवक्ता की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। नगर आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि इसके लिए एक समिति बनायी जायेगी जो नये अधिवक्ता का चयन करेगी ।सर्वसम्मति से स्वीकार।

बिन्दु 2 परकर अधीक्षक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि एक कम्पनी का प्रस्ताव आया है ,उसके द्वारा नगर में कुछ क्षेत्रो का चयन किया गया है । उक्त कम्पनी पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून की तर्ज पर वेन्डिंग जोन का डेवलपमेन्ट व संचालन करेगी , इस हेतु निगम को कोई धनराशि व्यय नहीं करनी है ।कम्पनी स्थल पर समस्त आधारभूत सुविधायें मुहैया करायेगी । श्री मनीष शर्मा द्वारा कहा गया कि विज्ञापन देकर अन्य कम्पनियों को टेन्डर दिया जाय ।प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

बिन्दु 3 पर श्री राकेश सिंह द्वारा कहा गया कि कार्यालय में जो सफाई विभाग के कर्मचारी कार्य करने में पारंगत है उन्है न हटाया जाय अपितु सफाई विभाग के जो कर्मचारी अन्य कार्यो में लगाये गये है उन्है हटाकर सफाई कार्य में लिया जाय ।सर्वसम्मति से स्वीकार।

बिन्दु 4 सर्वसम्मति से स्वीकार।

बिन्दु 5 पर नगर आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि मोहल्ला स्वच्छता समिति के माध्यम से सफाई कार्य कराया जायेगा।

बिन्दु 6,7 सर्वसम्मति से स्वीकार।

बिन्दु 8 पर नगर आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि यह क्षेत्र सिंचाई विभाग के अन्तर्गत आता है इस पर संबन्धित विभागों से अनुमति के पश्चात कार्यवाही की जायेगी । प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार।

**प्रस्ताव संख्या 8-** श्री गुरविन्दर सिंह पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड संख्या 29 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

1. पिछली बोर्ड बैठक में 20 बिजली के पोल का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था अभी तक पोल नहीं लगाये गये हैं ।कृपया शीघ्र लगाने का कष्ट करें।

2. नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी दूसरी जगह काम कर रहे हैं उन्है सफाई कार्य पर लगाया जाय।

3. वार्ड नं0 29 में प्रतिदिन 4 सफाई कर्मचारी लगाने की कृपा करें।

4. 10 दिन में एक दिन नाला गैंग लगाने की कृपा करें।

5. ग्रामीण क्षेत्र जो नगर निगम में जुडा है प्रत्येक वार्ड का गली व प्रत्येक घर का खाका तैयार करने की कृपा करें।

6. पिछली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हुआ था कि प्रत्येक वार्ड का खाका ( बन्दोबस्त ) बनाया जायेगा उस में क्या कार्यवाही हुई।

7. क्षेत्र में 50 स्ट्रीटलाईट की अतिआवश्यकता है,लगाने की कृपा करें।

----------

बिन्दु 1 पर श्री गुरविन्दर सिंह द्वारा कहा गया अभी तक पोल नहीं लगाये गये है इस पर विद्युत विभाग के जू0इं0 द्वारा बताया गया कि 4 पोल लगाये जा चुके हैं शेष शीघ्र लगा दिये जायेगें । बिन्दु 2,3,4,5 एवं 6 सर्व सम्मति से स्वीकार।

बिन्दु 7 पर नगर आयुक्म महोदय द्वारा कहा गया एल0आई0 देख ले कि कितनी लाइटों की नितान्त आवश्यकता है तद्नुसार लगाई जायें।

**प्रस्ताव संख्या 9-** श्री गुरविन्दर सिंह पार्षद का प्रस्ताव बावत नगर निगम ऋषिकेश के समस्त वार्डो की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से किये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड के लिए एक कूडा वाहन के हिसाब से कूडा वाहनों को क्रय किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

----------

कार्यालय द्वारा बताया गया कि शीघ्र ही 10 कूडा वाहन और आ रहे हैं ।नगर आयुक्त महोदय द्वारा पुछा गया कि क्या इस से कार्य में सुधार होगा। सफाई निरीक्षक द्वारा बताया गया कि इस से कार्य में बहुत सुधार होगा । नगर आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि नये वाहनों के आने पर परीक्षण कर लिया जाय।

**प्रस्ताव संख्या 10**- श्री मनीष पार्षद का प्रस्ताव बावत निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार एवं निर्णय।

1. कुम्भ मेले को देखते हुए त्रिवेणीघाट आस्थापथ को चन्द्रभागा पुल से जोड़ा जाना।

2. नगर निगम बनने के पश्चात अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है, अतः कार्यो के सुचारू निर्वहन हेतु एक इनोवा/फॉर्चुनर (टॉपमाडल) कार क्रय किये जाना।

3. नगर निगम के बोर्ड में प्रस्तावित कार्यां के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाए ताकि बैठक में प्रस्तावित कार्यां का मूल्यांकन वार्ड के अनुसार हो ।

----------

बिन्दु 1 पर मेयर महोदया द्वारा सदन को बताया गया कि यह कार्य कुम्भ मेले के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत करा लिया गया है । बिन्दु 2 सर्वसम्मति से स्वीकार ।श्री मनीष शर्मा द्वारा कहा गया कि कन्डम वाहनों की निलामी कराई जाय । बिन्दु 3 सर्व सम्मति से स्वीकार ।

**प्रस्ताव संख्या 11-** श्री विजय बडोनी पार्षद का प्रस्ताव बावत निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार एवं निर्णय।

1. कूड़ा वाहन का मासिक यूजर चार्जेज प्रत्येक परिवार से 70/-रू0 प्रतिमाह करना ।

2. मैरीन ड्राइव पर छोटे-छोटे ऑउटलेट कार्य करवाना जिससे निगम की आय में वृद्धि होगी ।

3. ऋषिकेश आई0एस0बी0टी0 पर जो लगभग 200 खोखे लगे हैं उस जगह पर निगम द्वारा समान साईज की पक्की दुकानें बनाकर उन्हे खोखे स्वामियों को किराये पर दी जाए जिस से निगम की आय भी बढ़ेगी ।

----------

बिन्दु 1 स्वीकार । परीक्षण के तौर पर केवल इस वार्ड में एक कूडा वाहन लगाया जाय तथा इस वार्ड से 70/-रू0 यूजर चार्जेज वसूला जाय।

बिन्दु 2 पर नगर आयुक्त महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि एन0जी0टी0 के नियमों के कारण यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

बिन्दु 3 पर श्री बडोनी द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा प्रस्ताव में 250 खोखे लिखे हैं जबकि एजेन्डे में 200 लिखे गये है 250 समझा जाये । प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार।

**प्रस्ताव संख्या 12-** श्रीमती प्रियंका यादव पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0-3 चन्द्रेश्वर नगर में छूटी हुई सम्पत्तियों पर भवन कर लगाए जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

----------

यदि सम्पत्ति पंजीकृत है तो भवन कर लगाया जा सकता है । विवादित एवं बेनामी सम्पति दर्ज नहीं की जायेगी । इस प्रकार की सम्पतियों की जॉच करायी जाय।

**प्रस्ताव संख्या 13**- श्रीमती सुंदरी कण्डवाल पार्षद का प्रस्ताव बावत निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार एवं निर्णय ।

1. निर्माण कार्यों के लिए पिछली बोर्ड बैठक में पास हुई सड़कों एवं नालियों के लिए बजट की व्यवस्था किया जाना।

2. मीरा नगर लोअर में एक इन्ची पाइप लाइन को तीन इन्ची में बदला जाए।

3. विद्युत पोलों की व्यवस्था व पथ-प्रकाश की व्यवस्था की जाए।

4. बीस बीघा गली नं0- 11 से हाईटेन्शन लाइन हटायी जाए।

5. प्रत्येक वार्ड में नियमित सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए व नए भर्ती किए जायें।

6. समाज कल्याण व प्रधानमंत्री की जनउपयोगी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने हेतु वार्ड में कैंप लगाये जाए।

7. आवारा पशुओं की समस्या से लोगों को निजात दिलायी जाए।

8. पंचायत घर व सामुदायिक भवन का प्रयोग जनहित के कार्यों के लिए किया जाए।

----------

बिन्दु 1 स्वीकार।टेन्डर हो चुका है।

बिन्दु 2 में जलसंस्थान के जे0ई0 द्वारा बताया गया कि यह कार्य कुम्भ कार्यो में स्वीकृत हो चुका है।

बिन्दु 3 में विद्युत विभाग के जे0ई0 द्वारा बताया गया कि पोलों का आंकलन बन चुका है।

बिन्दु 4 पर जे0 द्वारा बताया गया कि लाइन पहले की पडी हुई है मकान बाद में बनाये गये है तथा शिफ्ट करने के लिए जगह नहीं है। बिन्दु 5,6,7 व 8 स्वीकार।

**प्रस्ताव संख्या 14-** श्री विरेन्द्र सिंह रमोला पार्षद वार्ड नं0-36 का प्रस्ताव बावत निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार एवं निर्णय ।

1. अमित ग्राम गुमानीवाला वार्ड नं0-36 में 250 स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है लगानें हेतु।

2. कूड़े की गाड़ी वार्ड में बरावर आने की व्यवस्था करना।

3. नगर निगम से वार्ड में सफाई की व्यवस्था।

4. शिव मन्दिर के पास कूड़ेदान एवं साईन बोर्ड की व्यवस्था।

----------

बिन्दु 1 पर नगर आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि लाइटे चैक करा ली जायें बन्द लाइटो को ठीक कराया जाय। बिन्दु 2,3 व 4 सर्वसम्मति से स्वीकार।

**प्रस्ताव संख्या 15**- श्री विपिन पन्त पार्षद वार्ड नं0-35 का प्रस्ताव बावत निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार एवं निर्णय।

1. प्रत्येक गली के बाहर गली नं0 के बोर्ड लगाया जाना।

2. शहीद स्मारक पर सी0सी0 टीवी कैमरा व उसका सौन्दर्यकरण।

3. प्रत्येक गली में लगभग 35 एल0ई0डी0 लाईट लगाना।

4. निगम में शामिल नये क्षेत्रों का चिन्हीकरण।

5. माया मार्ग से मन्शा देवी तक स्ट्रीट लाइट।

----------

बिन्दु 1 स्वीकार। बिन्दु 2 पर नगर आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि सी0सी0टी0वी0 कैमरे का मेन्टिनेन्श यदि पुलिस प्रसाश न द्वारा किया जाय तो लगाया जा सकता है ।शेष बिन्दु स्वीकार।

**प्रस्ताव संख्या 16-** श्रीमती शकुन्तला पार्षद का प्रस्ताव बावत निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार एवं निर्णय।

1. भैरव कालोनी में सीवर लाइन का निर्माण।
2. वार्ड नं-04 के अर्न्तगत पंचकुटी कालोनी में सीवर लाइन का कार्य।

----------

सर्वसम्मति से स्वीकार ।संबन्धित विभाग को पत्र भेजा जाय।

**प्रस्ताव संख्या 17-** कार्यालय आख्या स्टोर अनुभाग बावत प्लास्टिक अपषिश्ट प्रबन्धन-2016 के अर्न्तगत प्लास्टिक कॉम्पेक्टर स्थापित किये जाने वास्ते सूचनार्थ।

----------

स्वीकार।

**प्रस्ताव संख्या 18-** कार्यालय आख्या स्टोर अनुभाग बावत 14 वें वित्त/राज्यवित आयोग में प्राप्त धनराशि के अर्न्तगत कूडा उठाने हेतु डस्टबिन क्रय किये जाने वास्ते सूचनार्थ।

----------

स्वीकार।

**प्रस्ताव संख्या 19-(विषेश )** कार्यालय आख्या स्वास्थ्य अनुभाग बावत नगर निगम, ऋषिकेश हेतु फीक लस्लज एवं सैप्टेज प्रबन्धकीय उपनियम-2019 वास्ते स्वीकृति।

----------

स्वीकार।

**प्रस्ताव संख्या 20-(विषेश )** कार्यालय आख्या स्वास्थ्य अनुभाग बावत मृतक पशुओं को निस्तारित करने हेतु प्रति मृत पशु के निस्तारण व्यय 500/- रू0 धनराशि वास्ते विचार एवं स्वीकृति।

----------

स्वीकार।

**प्रस्ताव संख्या 21-** कार्यालय आख्या रिकॉर्ड अनुभाग बावत भूमिविनाश अधिनियम-1952 के अर्न्तगत ग्राम समाल व राज्य की भूमि के स्वामित्व को पुनः नगर निगम में समायोजित करने हेतु विचार एवं निर्णय।

----------

स्वीकार।

**प्रस्ताव संख्या 22-** कार्यालय आख्या स्वास्थ्य अनुभाग बावत नगर निगम, ऋषिकेश हेतु फीकलस्लज एवं सैप्टेल प्रबन्धकीय उपनियम-2019 वास्ते स्वीकृति।

----------

स्वीकार।

**प्रस्ताव संख्या 23-** कार्यालय आख्या गृहकर अनुभाग बावत गृह कर नामान्तरण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना व निविदाओं को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के अनुसार दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अनिवार्यतः प्रकाशित किया जाए तथा निगम के स्वच्छता व बधाई संदेश पूर्व की भाँति स्थानीय समाचार पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित किये जाएँ पर विचार एवं स्वीकृति।

----------

स्वीकार।

**प्रस्ताव संख्या 24-** कार्यालय आख्या कर अनुभाग बावत निगम सीमांर्न्तगत निगम भूमि, अन्य विभागीय भूमि अथवा अन्य निजी भूमि पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी वेन्डिंग पॉलिसी/फेरी नीति को लागू करने हेतु रेहडी/पटरी व अन्य गतिशील दुकानदारों को जीविका सुरक्षा हेतु देहरादून की तर्ज पर पायलेट प्रोजैक्ट के रूप में मै0 किरण कम्पनी को वेंडिग जोन डेवलप व संचालन करने की अनुमति वास्ते स्वीकृति।

----------

स्वीकार।

**प्रस्ताव संख्या 25-** कार्यालय आख्या स्वास्थ्य अनुभाग बावत नगर निगम, ऋषिकेश के सीमान्तर्गत मांस, मछली व अण्डा पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

----------

स्वीकार । नगर आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि पूर्व से बिक रहे क्षेत्रो पर शासन से अनुमति के पश्चात ही प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।

**प्रस्ताव संख्या 26**- कार्यालय आख्या निर्माण अनुभाग बावत तहसील परिसर, ऋषिकेश में उपजिलाधिकारी आवास के समीप गेस्टहाउस/कैम्पऑफिस की की मरम्मत/रखरखाव के व्यय की स्वीकृति वास्ते विचार एवं निर्णय।

----------

स्वीकार।

**प्रस्ताव संख्या 27**- कार्यालय आख्या निर्माण अनुभाग बावत नगर निगम, ऋषिकेश के सामने स्थित आवास परिसर में पार्किंग निर्माण वास्ते विचार एवं निर्णय।

----------

स्वीकार।मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कराया जाय।

ह0

( अनिता ममगांई )

महापौर

नगर निगम ऋषिकेश।

**कार्यवाही पढी गई , पुष्टि की गई।**

ह0

( अनिताममगांई )

महापौर

नगर निगम ऋषिकेश ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

नगरआयुक्त

नगर निगम ऋषिकेश ।

**कार्यालय-नगर निगम ऋषिकेश (देहरादून)**

पत्रांक /बैठक/2019-20 दिनांकः -2019

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव शहरी विकास उत्तराखण्ड ,देहरादून।

2- जिलाधिकारी देहरादून।

3- पदेन सदस्य मा0 सांसद हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार।

4- पदेन सदस्य मा0 विधायक विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश ।

5- समस्त पार्षद गण ,नगर निगम ऋषिकेश ।

6- समस्त अनुभाग न0 नि0 ऋषिकेश ।

7- नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

नगर आयुक्त

नगर निगम ऋषिकेश ।